

नगरीयकरण का ग्रामीण क्षेत्रों व कृषि भूमि पर पड़ता विपरीत प्रभाव

Urbanization has the opposite Effect on Rural Areas and Agricultural Land

Paper Submission: 12/12/2021, Date of Acceptance: 23/12/2021, Date of Publication: 24/12/2021



अशोक कुमार मीना
असिस्टेंट प्रोफेसर,
भूगोल विभाग,
रावत पी. जी. कॉलेज,
जयपुर, राजस्थान, भारत

नगरो के समीप अवस्थित ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या कृषि भूमि रूपान्तरण (90 बी) योजना हैं इसके तहत नगर के समीपवर्ती कृषि भूमि का बहुत बड़ा भाग परिवर्तित करके आवासीय योजनाओं में बदल दिया गया है जिसके फलस्वरूप कृषि भूमि में दिनोदिन कमी आती जा रही है। नगर के विस्तार व कृषि भूमि का रूपान्तरण (90 बी) का इन तथ्यों से अनुमान लगाया जा सकता है कि 1971 में जयपुर नगर 14410 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था जिसका विस्तार होकर 1991 में 38400 एकड़ भूमि हो गया और 2011 के मास्टर प्लान के आधार पर नगर के क्षेत्र का विस्तार हो कर 2011 तक 80665 एकड़ हो जायेगा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 1971 से 2011 तक नगर का क्षेत्रफल 66255 एकड़ कृषि व वन भूमि पर विस्तार हुआ है। जब जयपुर नगर की ये स्थिति है तो भारत के अन्य नगरो की क्या स्थिति होगी।

जयपुर रीजन के अधिकांश गावों के आस-पास 10 किमी. का बफर क्षेत्र है। यद्यपि इन ग्रामों के मध्य स्थित नगरीय क्षेत्र पर यह ग्राम भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर है। तथा नगरीय प्रभाव के कारण इन गाँवों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व भौगोलिक कारक प्रभावित होने से भविष्य में ये गाँव अपनी वास्तविक पृष्ठभूमि को छोड़कर नगरीयकरण की विशेषताओं से परिपूर्ण हो जायेंगे तथा इन गाँवों की भूमि का उपयोग भी परिवर्तित हो जायेगा। अतः यदि प्रशासन व जनता जागरूक नहीं हुई तो आने वाले समय में जयपुर नगर के समीपवर्ती स्थित कस्बों-गाँवों के लिए कृषि व वन भूमि का हास विकट समस्या बन जायेगी।

The biggest problem of the rural areas located near the cities is the agricultural land conversion (90B) scheme, under this, a large part of the agricultural land adjacent to the city has been converted into residential schemes, as a result of which the agricultural land is decreasing day by day. The expansion of the city and the conversion of agricultural land (90B) can be estimated from these facts. That in 1971, Jaipur city was spread over an area of 14410 acres, which expanded to 38400 acres in 1991 and on the basis of the 2011 master plan, the area of the city would be expanded to 80665 acres by 2011. From this it can be estimated that from 1971 to 2011, the area of the city has expanded to 66255 acres of agricultural and forest land. When this is the condition of Jaipur city, then what will be the condition of other cities of India. 10 km around most of the villages of Jaipur region. is the buffer area. Although this village is dependent on the urban area located in the middle of these villages to meet the future needs. And due to the urban influence, the economic, social, cultural, and geographical factors of these villages will be affected, in future these villages will leave their original background and be full of the characteristics of urbanization and the land use of these villages will also change. Therefore, if the administration and the public do not become aware, then in the coming time, the degradation of agricultural and forest land will become a serious problem for the towns and villages located adjacent to the city of Jaipur.

मुख्यशब्द : मास्टर डवलपमेंट प्लान, कृषि भूमि रूपान्तरण (90 बी) योजना, रीजन क्षेत्र, ज.वि.प्रा., (यू-1) नगरीय क्षेत्र-1, परिस्थितिकी क्षेत्र, भू-दृश्य

Keywords: Master Development Plan, Agricultural Land Transformation (90B) Plan, Region Area, JDA, (U-1) Urban Area-1, Ecological Area, Landscape

प्रस्तावना

जयपुर नगर राजस्थान राज्य के उत्तर-पूर्वी भाग में अरावली की शाखाओं के दक्षिण-पश्चिम में विस्तृत मैदान में अवस्थित है। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से जयपुर नगर की ऊँचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। नगर का विस्तार 26°96' उत्तरी अक्षांश एवं 75°82' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। जयपुर नगर भारत के अर्द्ध शुष्कीय जलवायु प्रदेश के अन्तर्गत आता है।

जयपुर नगर की स्थापना 18 नवम्बर, 1727 में सुनियोजित तरीके से की गई थी। जयपुर नगर का प्रारंभिक विन्यास (18 नवम्बर 1727 में) तत्कालीन बंगाली इंजिनियर विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा ही किया गया था। जयपुर नगर देश के अन्य राज्यों, नगरों एवं महानगरों से सड़क मार्गों, रेल मार्गों, वायु मार्गों से जुड़ा हुआ है।

शोध अध्ययन विधि

शोध अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण एवं परीक्षण पर आधारित है। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत जनगणना विभाग, नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सेवा केन्द्र सम्मिलित है।

**विषयवस्तु
जयपुर विकास प्राधिकरण
द्वारा सीमांकन**

जयपुर नगर के नगरीय तथा रीजन क्षेत्र में आनेवाले क्षेत्र का सुनियोजित विकास करने के लिए मास्टर प्लानों का निर्माण किया गया है। नगर का सीमांकन तथा उसके सुनियोजित विकास के लिये सर्वप्रथम मास्टर प्लान 1991 में नगरीय क्षेत्रफल 156 वर्ग किमी प्रस्तावित किया गया था मास्टर प्लान 2011 में नगरीय क्षेत्र को बढ़ाकर 326 वर्ग किमी. कर दिया गया। नगर की बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते नगरीयकरण को मद्देनजर रखते हुए ज.वि.प्रा. ने मास्टर प्लान 2025 ड्राफ्ट बनाया है जिसमें लगभग 520 वर्ग किमी. क्षेत्र नगरीयकरण के लिए अपेक्षित है जबकि जयपुर रीजन में भविष्य के विकास की दृष्टि से मास्टर प्लान में लगभग 2939 वर्ग किमी क्षेत्र का सीमांकन किया गया है।

जयपुर रीजन की क्षेत्रीय विशेषता एवं सीमांकन

जयपुर रीजन को उसकी क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर सीमांकन किया गया है जिसे पाँच क्षेत्र नगरीय क्षेत्र (यू-1), नगरीय क्षेत्र (यू-2), नगरीय क्षेत्र (यू-3), पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित किया गया है।

जयपुर रीजन के विभिन्न भू-उपयोगों का क्षेत्रफल

जयपुर रीजन को उसकी क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर सीमांकन किया गया है जिसे पाँच क्षेत्र नगरीय क्षेत्र (यू-1), नगरीय क्षेत्र (यू-2), नगरीय क्षेत्र (यू-3), पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित किया गया है।

जयपुर रीजन के विभिन्न भू-उपयोगों का क्षेत्रफल

2011			2025		
उपयोग	क्षेत्रफल वर्ग किमी.	प्रतिशत	उपयोग	क्षेत्रफल वर्ग किमी.	प्रतिशत
नगरीयकरण क्षेत्र	391	19.94	यू-1	879	29.9
			यू-2	529	18.01
			यू-3	166	5.65
पर्यावरण परिस्थितिकी क्षेत्र	481	24.55		642	21.84
ग्रामीण क्षेत्र	1087	55.51		723	24.6
कुल	1959	100	कुल	2939	100

जयपुर विकास प्राधिकरण की नियोजन सीमा

वर्तमान सन्दर्भ में मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 जयपुर रीजन सीमा तक है। इस मास्टर प्लान में नीचे दी गयी अधिसूचनाओं के अनुसार 1982 के अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल समस्त गाँव समाहित है:-

1. राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 के अधीन जारी अधिसूचना सं. एफ 1(6) टीपी/72 दिनांक 09.10.1972 नगरीय क्षेत्र अधिसूचना जिसमें अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमा में जयपुर शहर सहित 132 राजस्व गाँव शामिल किये गये।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम सन् 1982 में अधिनियमित किया गया था तथा जयपुर शहर, सांगानेर, आमेर, बगरू, चौमू, बस्सी सहित जयपुर, सांगानेर, आमेर, जमवारामगढ़, बस्सी और चाकसू तहसीलों के 335 गाँव अधिसूचना दिनांक 12.10.1982 के जरिये जयपुर रीजन में शामिल थे।
3. अधिसूचना सं. एफ 7(22) यूडीएच/3/87 दिनांक 25/10/1997 द्वारा गाँव जयपुर रीजन में जोड़े गए।
4. अधिसूचना सं. एफ 7(22) यूडीएच/3/87 दिनांक 01.10.07 द्वारा 247 गाँव जयपुर रीजन में शामिल किये गये।

जयपुर रीजन के गाँव

जेडीए रीजन में 725 गाँव सम्मिलित है नगरीकरण योग्य क्षेत्र (यू-1) में जयपुर नगर निगम के वार्ड है एवं शेष रीजन में अन्य स्थित गाँव हैं। रीजन के अधिकांश गाँवों के आस-पास 10 किमी. का बफर क्षेत्र है। नगरीय प्रभाव के कारण इन गाँवों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व भौगोलिक कारक प्रभावित होने से भविष्य में ये गाँव नगरीयकरण की विशेषताओं से परिपूर्ण हो जायेंगे तथा इन गाँवों की भूमि का उपयोग भी परिवर्तित हो जायेगा।

नये भवन निर्माण विनियम की पूर्ति 1970 में उस समय हुई, जब नगर परिषद् ने नये नियम बनाए जिसमें चारदीवारी व बाहरी क्षेत्र में हुए नियोजन को भी शामिल किया गया। जिस क्षेत्र का विकास नगर सुधार न्यास में नहीं किया, उन्हें नये विनियम के तहत नियंत्रित किया गया। इसी समय नगर परिषद् और न्यास के अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर दिये गए। परिषद् को चारदीवारी व न्यास को बाहरी क्षेत्र सौंपा गया। इस समय शहर में बढ़ती आवासीय मांग को पूरा करने के लिए और लोगों को मकान बनवाने के झंझट से मुक्त करने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल का गठन किया गया। मण्डल जहाँ सैक्टर आधार पर बड़ी तादाद में मकान बना रहा था। वही न्यास भूखण्ड विकास को बढ़ावा दे रहा था। तदन्तर कृषि भूमि का आवासीय उपयोग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वर्ष 1976 में शहरी भूमि हदबंदी कानून लागू होने से इसे और बढ़ावा मिला। लोगों को लगा कि अल्सर के तहत उनकी भूमि सरकार द्वारा अधिगृहित कर ली जायेगी और उन्होंने पुरानी तारीखों में इकरारनामों से गृह निर्माण सहकारी समितियों को अपनी जमीने बेच दी। वर्ष 1975-85 के बाद समितियों ने गैर कानूनी रूप से कृषि भूमि पर बेतरतीब ढंग से एक लाख भूखण्ड काट कर बेच

कृषि भूमि पर मास्टर प्लान 2025 में परिकल्पित नगरीय क्षेत्र

क्षेत्र अपेक्षित	250 वर्ग किमी
इस प्रकार कुल क्षेत्र	535+250= 785 वर्ग किमी
650000 (2025) की आबादी के लिए 12500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की दर से अपेक्षित क्षेत्र	520 वर्ग किमी
8000 जनसंख्या घनत्व मानते हुए अपेक्षित क्षेत्र	812 वर्ग किमी
अतः दोनों तरह से मास्टर प्लान का नगरीयकरण क्षेत्र	800 वर्ग किमी

यदि उपर्युक्त जनसंख्या वृद्धि का घनत्व के आँकड़ों का विश्लेषण किया जाये तो ज्ञात होता है कि जयपुर नगर के भू-दृश्य परिवर्तन में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 2001 तक नगर की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई जिसने बहुत बड़े कृषि भूमि, वन भूमि व चरागाह भूमि का भू-दृश्य परिवर्तन कर दिया। दशक 1991से 2001 में नगर की जनसंख्या बढ़कर 23 लाख तक पहुँच गयी जिसके फलस्वरूप 485 वर्ग किमी क्षेत्र नगरीय भू-दृश्य में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2009 तक नगर के समीपवर्ती बहुत बड़े कृषि भूमि का भू-दृश्य परिवर्तित कर वर्ष 2009 तक 600 वर्ग किमी कृषि भूमि, वन भूमि व चरागाह भूमि नगरीय भू-दृश्य में परिवर्तित हो गया इतने भू-दृश्य परिवर्तन के लगभग 40 लाख जनसंख्या उत्तरदायी है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश मामलों में न तो नियोजित क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग न ही निर्धारित जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य कारण इस तथ्य से रहा है कि उक्त विकास में सहायता प्रदान करने हेतु अपेक्षित मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ व आधारभूत संरचनात्मक तथ्य उपलब्ध नहीं हुए। कई मामलों में इस कस्बे में विकास उन श्रेणी में हुआ है जिनके लिये प्लान नहीं किया गया था। अतः बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या का नगर में केन्द्रीयकरण व अन्य आधारभूत समस्याओं के चलते आने वाले समय में जयपुर नगर समस्याओं का केन्द्र बन जायेगा नगरवासियों को प्रत्येक क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतः यदि प्रशासन व जनता जागरूक नहीं हुई तो आने वाले समय में नगरवासियों के साथ-साथ नगर के समीपवर्ती स्थित कस्बों-गाँवों के लिए भी भयंकर समस्या खड़ी हो जायेगी।

सन्दर्भ सूची

1. प्रो.डिकिन्सन.आर.ई.(1955) सिटी, रीजन एण्ड रीजनल्स, लंदन ;पृ.सं. 49
2. डॉ. बिबश जे.पी.(1961) अरबन रिसर्च मैथडोलोजी, लंदन ;
3. चौफ, डिपार्टमेन्ट ऑफ टाउन प्लानिंग (1964) सिटी डवलपमेन्ट प्रोग्राम; जयपुर ;
4. डॉ.भारद्वाज आर.के (1974) अरबन डवलपमेन्ट इन इंडिया; नेशनल पब्लिकेशन्स हाउस, दिल्ली,
5. डॉ. माधव (1978) अनवायरमेन्टल इस्पेसल ऑफ जयपुर; कोम्पलक्स हाउस इकोलाजी, आई.एच.ई.सी. जयपुर
6. डॉ.नाथवाल जी.एस.(1978)जयपुर सिटी इट ग्रोथ एंड नेचुरल रिसोर्स; हाउस इकोलाजी आई.एच.ई.सी. जयपुर
7. राष्ट्रीय भूगोल परिसद(1986) अरबन लैण्डस्केप:स्पेशल् एण्ड रीजनल पैटर्न ;वाराणासी,पृ.स.57
8. प्रो.राज बाला (1987)राजस्थान राज्य के नगरों की प्रशासकीय सीमायें, एकेडेमिक प्रेस मेरठ ;पृ.सं. 61
9. ज.वि.प्रा. की साहित्यिक, सांस्कृतिक, संगठनात्मक, गतिविधियों का दस्तावेज।